

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु लागू 'परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना' के अंतर्गत प्राप्त भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2015-स्था.-(डी.) दिनांक 22.10.2019 एवं संख्या 35034/3/2008-स्था.-(डी.) दिनांक 04.10.2012 में दिए गए निर्देशानुसार श्री अमित कुमार यादव, लेखा परीक्षक जिन्होंने लेखा परीक्षक पद पर प्रत्यावर्तित होकर इस कार्यालय में कार्य ग्रहण किया है, को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गयी तिथि एवं वेतन लेवल में निम्नानुसार वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है .

In terms of Government of India, Ministry of Public Grievance and Pension (Department of Personnel and Training) Office Memorandum No. 35034/3/2015-Estt.(D) dated 22.10.2019 and memorandum No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 04.10.2012, received under Modified Assured Career Progression Scheme, for Central Government Officers/Officials, Shri Amit Kumar Yadav, Auditor who has joined this office after reversion to the post of Auditor is granted financial upgradation from the date and in the Pay Level shown against his name as follows:-

S. No.	नाम, पद एवं स्थाई क्र. Name, Post & Prmtt No. S/Shri.	वर्तमान वेतन लेवल Present Pay Level	प्रदाय वित्तीय उन्नयन Financial upgradation granted			कार्यालय Office
				दिनांक Date	वेतन लेवल Pay Level	
1.	Amit Kumar Yadav, Auditor (04/11492)	05	1 st	30.04.2023	Level 06	O/o the PAG (Audit-I) MP, Gwalior

- उपर्युक्त कर्मचारी को केवल उच्च वेतन लेवल प्रदान किया गया है इससे उच्च पद पर क्रियात्मक (functional) /नियमित पदोन्नति नहीं मानी जाएगी |

Above Official has been granted higher Pay Level only, which will not be treated as functional/regular promotion.

- भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय जापन दिनांक 22.10.2019 के साथ संलग्न अनुलग्नक-I (annexure-1) में वर्णित शर्तों के अधीन परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया। वित्तीय उन्नयन संबंधित कर्मचारी का व्यक्तिगत होगा। इसका उनके संवर्ग की वरियता से कोई संबंध नहीं होगा।

As per the terms & Conditions mentioned in the Annexure-I of Office Memorandum dated 22.10.2019, financial Upgradation under MACPS shall be purely personal to the official and shall have no relevance to his seniority position in the cadre.

3. वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प यह आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर संबंधित प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत करें।

Option for Pay fixation may be submitted in concerned admin section within a month from the date of issue of this order.

4. यदि किन्हीं परिस्थितियों में प्रदान किये गये वित्तीय उन्नयन में बदलाव/वापस लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है तब वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन से की जाएगी।

If the financial upgradation granted is modified or withdrawn under any circumstances, the excess payment due to grant of financial upgradation will be recovered from his salary.

(प्राधि: वरिष्ठ उप महालेखाकार/ प्रशासन द्वारा अनुमोदित)

-हस्ता-


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
गोपनीय कक्ष

क्र./प्रशा./गो.क./एम.ए.सी.पी./

Date: 24.09.24

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित :-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन), प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
3. उप महालेखाकार (प्रशासन), प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) प्रथम का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रेषित।
4. निदेशक, वित्त एवं संचार (लेखापरीक्षा), संचार भवन एनेक्सी होशंगाबाद रोड, मध्य प्रदेश, भोपाल-462011.
5. कल्याण अधिकारी।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा-11, 12, 13 एवं 14
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को इंटरनेट के अंतर्गत अपलोड करने हेतु।
8. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लेखा भवन, ग्वालियर।
9. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ, प्रशा.-14 को इंटरनेट/इन्ट्रानेट संबंधी कार्य हेतु।
10. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन।
11. संबंधित कर्मचारी/सूचना पटल।


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
गोपनीय कक्ष